मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित नदी सुखरो, सिंमलचौड़ में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 14.10.2014 (अपरान्हः 2.00 बजे) स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सिमलचौड़, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा नदी सुखरो, सिमलचौड़ में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 19.08.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, श्री बी0एस0 चलाल की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सिमलचौड़, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0अधिकारी) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपरान्ह 2.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि डा0 अजीत सिंह (सहा0वैज्ञा0 अधिकारी) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा सुखरो नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व टाईम्स आफ इण्डिया के दिनांक 26.08.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। अपिहार्य कारणों से दिनांक 27.09.2014 को होने वाली जन लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 14.10.2014 की गयी, जिसकी विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा व टाईम्स आफ इण्डिया के दिनांक 02.10.2014 के अंक में पुनः प्रकाशित की गयी, जिसमें विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि

विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यकम के अध्यक्ष श्री बी0एस0 चलाल, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री अंकित राणा द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 27.853 है0 है। जो कि ग्राम बलभद्रपुर, खूनीबड़, सिमलचौड, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ--साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री अंकित राणा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसकी कुल राशि रू0 5.51 लाख प्रतिवर्ष होगी, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र में स्थित नदी सुखरो, सिमलचौड़ में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों, आपत्तियों एवं लिखित प्रत्यावेदन का विवरण सार रूप में निम्नानुसार है–

1. **श्री संतोष कुमार निवासी ग्राम सिमलचौड़** द्वारा कहा गया कि हम रेत, बजरी, पत्थर आदि के व्यवसायी हैं। यह खनन वैध, अवैध पर चर्चा से जरूरी है कि खनन बहुत आवश्यक है। नदी में खनन कार्य होने से भूमि, मकान आदि का कटाव नहीं होगा। उनके द्वारा कहा गया कि यदि खनन का ठेका किसी प्राईवेट संस्था को दिये जायेंगे तो वह अवैध खनन करेगा, इसलिये खनन गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए। हम सब नदी में खनन के पक्ष में हैं, इससे गरीब जनता को रोजगार एवं ग्राम में निवास करने वाले व्यक्तियों का विकास होगा।

2. **श्री विरेन्द्र सिंह रावत (ग्राम प्रधान), निवासी ग्राम दुर्गापुर** द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य केवल वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाना चाहिए।

3. **श्री भास्कर बड़थ्वाल (ग्राभ प्रधान), निवासी ग्राम दुर्गापुर** द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन होने से कृषि भूमि का कटाव नहीं होगा। इसलिये खनन बहुत ही आवश्यक है तथा खनन कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा किया जाना चाहिए। श्री भास्कर द्वारा एक लिखित प्रत्यावेदन दिया गया है। **(संलग्नक–1)**

4. **श्री सुरेश रावत (ग्राम प्रधान), निवासी ग्राम महेकपुर** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि खनन से पूर्व सड़कों का मरम्मत एवं निर्माण बहुत आवश्यक है, जिससे दुधर्टना आदि न हो, ग्राम का विकास हो। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उनकी ग्राम सभा में मालन नदी में भी किनारों को छोड़ते हुए व्यवस्थित रूप से खनन होना चाहिए।

5. **श्री चन्द्र प्रकाश नैथानी (ग्राम प्रधान) निवासी ग्राम सुखरो** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि लोक सुनवाई हेतु क्षेत्र में कोई व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं किया गया। उनके द्वारा खनन कार्य का समर्थन किया गया है और साथ ही कहा गया कि यह प्राकृतिक सन्तुलन है। नदियों में रेत, बजरी, पत्थर प्राकृतिक रूप से आ रहें है। उनके द्वारा कहा गया कि 50 वर्ष पहले खनन सामग्री निर्माण कार्य हेतु आपूर्ति गधों–खच्चरों के माध्यम से पूरी हो जाती थी। परन्तु अब आवश्यकता ज्यादा हो गयी है। उनके द्वारा खनन हेतु आयोजित सुनवाई को खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने का एक षडयंत्र है, संदेह जताया गया। श्री नैथानी द्वारा कहा गया कि नदी में खनन व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, खनन होने से सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होगा और हमारी ग्राम सभा का भी विकास होगा। इसलिये नदियों से रेता, बजरी, पत्थर आदि उठना चाहिए। खुलने क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा तथा क्षेत्र का विकास भी होगा। श्री नैथानी द्वारा कहा गया कि रेत, बजरी,

पत्थर पहाड़ों का मैल और मल है, इस उठना ही चाहिए। यदि यह खनन नहीं होगा तो सरकार को राजस्व की हानि होगी और ग्रामसभा का विकास भी संभव नहीं है। खनन नहीं होने से सभी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड की आम जनता के हित के लिये खनन आवश्यक है। अतः खनन निर्विवाद रूप से हो और खनन की व्यवस्थित ढंग से अनुमति मिलनी चाहिए तथा इस पर तुरन्त निर्णय होना चाहिए।

6. **श्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम सिमलचौड़** द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन खुलना चाहिए, क्योंकि नदियों के तटों का स्तर गांव के स्तर से जुड़ गया है जिससे नदी का प्रवाह सीधे हमारे गांव की तरफ आ गया है, जिससे बाढ़ से हमारे मकान और कृषि भूमि बहने का खतरा बना हुआ है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के किनारों से 10 मीटर छोड़ते हुए बीचोंबीच खनन किया जाये तथा खनन के दौरान हुए रिसाव को रोकने के भी प्रयास किये जाने चाहिए।

7. **श्री चांद कुमार (उप ग्राम प्रधान), निवासी ग्राम सिमलचौड़** द्वारा द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और सुझाव दिया गया कि नदियों में खनन वैज्ञानिक विधि से किया जाये, सड़कों की मरम्मत की जाये तथा ट्रकों/टॉली व्यवसाय से जुड़े लोगों का इंस्योरेंस होना चाहिए। उनके द्वारा लोकसुनवाई से खुशी व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन न होने से बाढ़ की स्थिति से हमारे मकान, खेत, जमीन और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि यदि खनन नहीं होगा तो इसके विरोध के साथ–साथ आन्दोलन भी किया जायेगा।

8. **श्रीमती शर्मीली भण्डारी, निवासी ग्राम सिमलचौड़** द्वारा कहा गया कि रात को अवैध खनन कार्य में लगे वाहनों से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। रात को वाहनों के शोरगुल से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में चोरी–छुपे जे0सी0बी0 मशीनों से नदी में खुदाई का कार्य चल रहा है, जिससे क्षेत्र में दुर्घटना बढ़ती जा रही हैं, जिसे रोकना बहुत ही आवश्यक है।

9. **श्री अमरीका सिंह, निवासी ग्राम सिमलचौड़** द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के किनारों से 40 मीटर छोड़ कर खनन किया जाये, जिससे हमारे मकान एवं कृषि भूमि को खतरा न हो तथा नदी के दोनों तरफ तटबन्द लगाये जायें तथा दोनों तरफ 20 मीटर चौड़ी मजबूत दीवार बनानी चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन कार्य से पूर्व खनन क्षेत्र में सीमांकन का कार्य किया जायेगा। सरकारी भूमि में खनन होने से अवैध खनन नहीं होगा, जिससे खनिज दर स्वतः कम हो जायेगी। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में

व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टा धारक संस्था द्वारा कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत अपने लाभांश का कुछ भाग स्थानीय सामाजिक एवं विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुकम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुकम में अवगत कराया गया कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

अन्त में सभा में उपस्थित जन समुदाय से खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त किये जाने हेतु हाथ खड़े करने का अनुरोध किया गया, सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03 सैट
2. डी0वी0डी0 – 03 सैट
3. उपस्थिति पंजिका – 03 सैट

(डा0 अजीत सिंह)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

(बी0एस0 चलाल)
अपर जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल